परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र नैनीताल के विकास खण्ड बेतालघाट के अन्तर्गत पॉगकटारा से खलाड़ तक मोटर मार्ग का नव निमार्ण।

प्रस्ताव की औचित्य एवं आवश्यकता

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र नैनीताल के विकास खण्ड बेतालघाट के अन्तर्गत पॉगकटारा से खलाड़ तक मोटर मार्ग का निमार्ण लम्बाई 3.00 किमी0 कार्य की स्वीकृति शासनादेश संख्या 304/111(2)/17–58 (एम0एल0ए0)/2017 लो0 नि0 अनुभाग–2 दिनांक 15.11.2017 के तहत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

जिसके अनुसार मोटर मार्ग के स्वीकृत समरेखण के अन्तर्गत प्रभावित भूमि का संयुक्त निरीक्षण कराकर वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव नियमानुसार गठित किया गया है। यह क्षेत्र फल पट्टी भू–भाग, सब्जी उत्पादक तथा दुग्ध उत्पादक क्षेत्र है। मोटर मार्ग से सम्पर्क नहीं होने के कारण तथा संकरे पगडण्डी रास्ते होने से स्थानिय काश्तकारों को सदैव काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। शासन से बार–बार मोटर मार्ग की मांग करने के फलस्वरूप उक्त शासनदेशानुसार मोटर मार्ग की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस मोटर मार्ग के बन जाने से ग्राम ल्वेशाल क्षेत्र के अन्तर्गत पडने वाले तोको के अतिरिक्त इस क्षेत्र से लगे अधिकांश गॉवो से सम्पर्क हो सकेगा तथा समस्त गॉव प्रत्यक्ष रूप से लाभन्वित होंगे। यह मोटर मार्ग पूर्व स्वीकृत अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 783/X–4–18/1(77)/2017 दिनांक 07.09.2018 द्वारा तोक गड़खेत से पांगकटारा मोटर मार्ग के अन्तिम बिन्दु से प्रारम्भ होकर 3.00 किमी0 लम्बाई में निर्मित किया जाना है ।

इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 संरेखणो पर विचार किया गया है जिन्हे प्रस्ताव में संलग्न मानचित्रो में अलग–अलग रंगो से दर्शाया गया है। साथ ही 1:50000 पैमाने के इन्डैक्स मानचित्र एवं डिजिटल मानचित्र में भी प्रस्तावित स्वीकृति संरेखण को दर्शा कर प्रस्ताव में लगाये गये हैं।

<u>संरेखण नं0–1</u> जो लाल रंग से दर्शाया गया है, यह मार्ग पूर्व मोटर मार्ग तोक गड़खेत से पागकटारा के अन्तीम बिन्दु से प्रस्तावित किया गया है। जिसे बैंगनी रंग से दर्शाया गया है। इसके अनुसार संरेखण में आरक्षित वन भूमि, सिविल सोयम भूमि एवं नाप भूमि आती है। इस संमरेखण में प्रयुक्त अधिकांश भूमि कास्तकारों की नाप भूमि प्रभावित होती है। इस समरेंखण से अधिक आवादी लाभान्वित होती है। इस संरेखण के अन्तर्गत वृक्ष एवं बैन्ड कम आते है। मानकों के अनुसार सही ग्रेड मिलता है, इस संरेखण से सभी ग्रामवासी सहमत है।

<u>संरेखण नं0–2</u> जो नीले रंग से दर्शाया गया है, यह मार्ग पूर्व निर्मित मोटर मार्ग गड़खेत से पागकटारा के अन्तीम बिन्दु से प्रस्तावित किया गया है। जिसे बैंगनी रंग से दर्शाया गया है। इसमें अधिक लम्बाई होने के साथ बडे व्यास के विभिन्न प्रजाति के वृक्ष एवं आरक्षित वन भूमि अधिक प्रभावित होती है। इसके अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में मानको के अनुसार सही ग्रेड न मिलने एवं पूर्व निर्मित मोटर मार्ग को अत्यधिक क्षति होगी तथा ग्रामवासी भी सहमत नही है।

उपरोक्त दोनों समरेखणों का भू–वैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है, तथा उनके द्वारा संरेखण नं0–1 को मोटर मार्ग निर्माण हेतु तकनीक, पर्यावरणीय एवं भू गर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। प्रस्तावित स्वीकृति समरेखण नं0–(1) के अन्तर्गत मार्ग के 1.600किमी0 लम्बाई मे आरक्षित वन भूमि, 0.300 किमी0 लम्बाई मे सिविल सोयम भूमि एवं 1.100 किमी0 लम्बाई मे कास्तकारो की नाप भूमि प्रभावित होती है।

अतः 3.00 किमी0 के अन्तर्गत प्रभावित वन भूमि (आरक्षित वन एवं सिविल सोयम) लम्बाई 1900 मीटर तथा चौडाई 9.00 मीटर में प्रभावित होने वाली 1.710 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन एवं लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण तथा मार्ग के संमरेखण मे प्रभावित वृक्षों के पातन की स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नैनीताल।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नैनीताल।